भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2509
जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

पीएसयू के कार्यकरण हेतु आकलन

2509. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आपके मंत्रालय और इसके सभी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में इनके स्वयं के कार्यकरण और प्रशासन हेतु आवश्यक श्रमशक्ति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय और संबद्ध संगठनों के अंतर्गत विभिन्न पदों हेतु नए कार्मिकों की भर्ती से पूर्व विद्यमान मानव संसाधन जिनके पास कम काम है, की पुनः कौशल और पुनः तैनाती के विकल्प को प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (घ): जी, हां। मंत्रालयों के विभागों में श्रमशक्ति की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आवधिक श्रमशक्ति आवश्यकता का आकलन करते हैं और हमेशा विद्यमान श्रमशक्ति की पुनः कौशल और पुनः तैनाती के विकल्पों का पता लगाते हैं।

*****